न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 73/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/73

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. श्री वीर तेजाजी विकास एण्ड पर्यावरण संरक्षण सेवा संस्थान कोटड़ा जिला जालोर पंजीयन संख्या 201190 जरिये अध्यक्ष बाबूलाल पुत्र मानाराम जी जाट, निवासी कोटड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा जिला जालोर।
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर जरिये प्रधानाध्यापक।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर आदेश क्रमांक/एफ12(3) ( )राज./सार्व/22/7240 दिनांक 17.11.2022

उपस्थिति :–

1. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 20/08/2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) ( )राज./सार्व/22/7240 दिनांक 17.11.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा गांव कोटड़ा के खसरा नम्बर 1168 में से 1.20 [illegible] भूमि का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम गलत एवं नियमो के विपरीत किया गया है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1168 गांव कोटड़ा में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि का आवंटन जिस स्थान पर किया गया है उस स्थान पर वर्षो पुराना वीर तेजाजी का चबुतरा व उस पर छोटा सा मन्दिर बना हुआ है, जिसकी नियमित रूप से सेवा पुजा होती है। अपीलाण्ट की पर्यावरण समिति द्वारा ही उक्त मन्दिर व आस पास की भूमि पर वृक्षारोपण किया हुआ है व पानी का टांका मौके पर बना हुआ है तथा तारबन्दी कर फाटक लगाई हुई है। आदेश में वर्णित आराजी पर जागरण इत्यादी का भी आयोजन किया जाता है। समिति के कब्जे वाली इस भूमि के अतिरिक्त भी इस खसरे में खाली भूमि पड़ी हुई है परन्तु स्थानीय सरपंच ने जानबुझ कर अपीलाण्ट के कब्जे वाली भूमि को सम्मिलित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम आवंटन करवाया है। जो मौके की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति को नजर अंदाज कर गलत करवाया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर बी जे 1995 पेज संख्या 460 प्रस्तुत किये। वक्त आवंटन उक्त भूमि जिस पर वर्तमान में समिति का कब्जा है वह अधारित नही थी। तहसीलदार व पटवारी ने बाले बाले वर्तमान सरपंच से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश की एवं अपीलार्थी के कब्जे वाली भूमि का रिपोर्ट में जानबुझ कर कोई उल्लेख नही किया गया है। वर्तमान में स्कुल के खसरा नंबर 1168 से बहुत दुर अन्य भूमि के खसरा नंबर 1181 व 1254 के पास ही संचालित हो रही है एवं खेल का मैदान के लिए खसरा नंबर 1181 व 1254 की भूमि ही उपयोग हो रही है तथा मौके पर खेल के मैदान का बोर्ड भी लगा हुआ है, जो स्कुल के खेल मैदान हेतु वर्तमान में उपयोग आ रही भूमि जो आवंटन योग्य भूमि होने के बावजुद आवंटन के लिए तहसीलदार व पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में कोई उल्लेख नही किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह निवेदन किया कि खसरा नंबर 1168 की भूमि में से स्कूल के खेल मैदान हेतु आवंटन किया जाना सुरक्षा के लिहाज से भी कतई उचित नहीं माना जा सकता है क्योकि वर्तमान में जहां स्कूल चल रही है बच्चो को उस स्कूल से खसरा नंबर 1168 पर आने के लिए बीच में चल रही सड़क को पार करके आना पड़ेगा। यह सड़क बहुत ही व्यस्त सड़क है एवं हर समय दुर्घटना की सम्भावना बनी रहेगी। अपीलाण्ट को जब खसरा नंबर 1168 की भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम किये गये आवंटन की जानकारी हुई तो उन्होने जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेशकर उक्त आवंटन आदेश में संशोधन किये जाने की मांग की गई। जिस पर जिला कलेक्टर ने पुनः जांच के आदेश दिये व उस पर दिनांक 13.02.2023 को मौके की रिपोर्ट बनाकर पेश की गई, उस रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व की जिन रिपोर्टो को आधार मानकर दिनांक 17.11.2022 का आदेश पारित किया गया वे रिपोर्ट गलत थी। वर्तमान में जो रिपोर्ट जिला कलेक्टर के आदेश पर तैयार की गई उससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1168 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या दो को आवंटन हेतु उपयुक्त नही थी बल्कि स्कूल के पास ही खसरा नंबर 1181 व 1254 की भूमि खेल मैदान हेतु आवंटन के [illegible] उपयुक्त थी। गांव कोटड़ा के वर्तमान सरपंच ने जानबुझ कर [illegible] तहसीलदार से गलत रिपोर्ट बनवाई क्योकि वर्तमान सरपंच एक वर्ग विशेष के लोगों का खसरा नं0 1181 व 1254 की भूमि पर कब्जा करवाना चाहता है। [illegible] आदेश को पारित करने से पूर्व

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट को नही सुना गया है इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2002 पेज नंबर 1110, आर आर टी 2023 पेज नंबर 1241 प्रस्तुत किये। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2022 को निरस्त फरमावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि ग्राम कोटडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर के खसरा संख्या 1168 रकबा 3.63 हैक्टर किस्म बारानी सोयम गौचर भूमि स्थित है। श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा आदेश दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसुचना कमांक 6 (25) राज–6/2014 दिनांक 08.04.2022 व 07.04.2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए प्राधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. कोटडा की मांग एवं ग्राम पंचायत कोटडा के प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार रानीवाडा की अभिशंषा के आधार पर मौजा कोटडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर के खसरा संख्या 1168 रकबा 3.63 हैक्टर किस्म बारानी सोयम गौचर में से रकबा 1.20 हैक्टर भूमि आवंटन नियम 1963 के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कोटडा को आवंटीत की गई तथा उक्त गोचर (चारागाह) भूमि की क्षतिपुर्ति हेतु मौजा कोटडा के खसरा संख्या 1240 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म गै.मु. लाटा (सिवाय चक) को गौचर (चारागाह) में दर्ज किया गया। जो आदेश विधिक रुप से सम्पूर्ण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है। उक्त खसरा संख्या 1168 आरम्भ से ही गैर मुमकीन गौचर दर्ज था तथा मौके पर खाली पडा था। पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर विधार्थीयो के लिए खेल मैदान नही होने से तथा उक्त खसरा स्कुल के पास स्थित होने से आवंटीत किया गया है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहीर है कि मौके पर उक्त खसरा पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही था तथा उक्त खसरे की किस्म गौचर होने से भी यदि कोई कब्जा कर देता है तो भी वह अतिक्रमी रहता है। गौचर भूमि पर कब्जा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं रहता है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2008(1) पेज नंबर 364, आर आर टी 2020(1) पेज नंबर 407, आर आर टी 2008(2) पेज नंबर 1011 तथा आर आर टी 2010(1) पेज नंबर 145 प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 ने निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को जब आवंटन बाबत जानकारी हुई तो उक्त भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर दिया तथा रातो रात अस्थाई निर्माण करवा दिया जो सभी अतिक्रमण ताजा किये गये है। प्राथी अपीलाण्ट जो संस्थान है। उसका रजिस्ट्रेशन 2022 में किया गया है तथा अप्रार्थी को उक्त भूमि का आंवटन 2022 में किया गया यानि इससे पूर्व प्रार्थी अपीलान्ट संस्था अस्तित्व में नहीं थी जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटन होने के बाद बदनियतिपूर्वक प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा नाजायज तरीके से कार्यवाहीयां की गई है। प्रार्थी अपीलाण्ट संस्था [illegible] समिति के तहत रजिस्टर्ड करवाया गया है। प्रार्थी अपीलाण्ट [illegible] यदि वहा वीर तेजाजी का प्राचीन मन्दिर है तो उसका रजिस्ट्रेशन [illegible] विभाग में होना चाहिये था। जो नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि [illegible] तुरन्त में अवैद्ध कब्जा करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नियत से व रेस्पोडेन्ट की भूमि को हडपने की नियत से आनन फानन में सभी कार्यवाहीया की गई है। जिससे अपीलान्ट साफ तथा स्वच्छ हाथो से न्याय मांगने नहीं आया है। जिससे अपीलान्ट को यह अपील व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपीलान्ट का कब्जा मान भी लिया जावे तो वह एक अतिकमी की हैसीयत से है तथा एक अतिकमी को अपील पेश करने व आवंटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। जिससे भी अपील अपीलान्ट खारीज किये जाने योग्य है। श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है तथा दोषी मान कर जुर्माना अधिरोपीत किया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट अतिकमी है जिसको मौके से हटाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर देवता का आधार लेकर धार्मिक भावनाओ को भडकाने का प्रयास किया जा रहा है तथा सामाजिक माहौल खराब किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलान्ट जानबुझ कर एक सोची समझी साजिस के तहत गलत कार्यवाही की है। जिससे अपील अपीलान्ट व अपीलान्ट का यह प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि खेल मैदान हेतु उपलब्ध नही है। उक्त भूमि विधालय के पास स्थित है तथा गांव के पास स्थित है। रास्ते पर स्थित है। आने जाने वाले लोगो की नजर में रहती है। जिससे लडके व लडकीयो के खेलने हेतु उपयुक्त व सुरक्षित जगह है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.11.2022 को पारित किया गया है, अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब के बारे मे उचित कारण दर्शित नही किया गया है अतः अपील मयाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

द्वौराने बहस सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट को कब्जा में वीर तेजाजी का चबुतरा, पानी का टांका, तार बंदी लगाकर अतिक्रमण किया गया है वो गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निमयानुसार एवं विधि के अनुरूप होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षकरान् की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.04.2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा को जरिये अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक डीसी कोर्ट/2023/188 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिपार्ट चाही गई, जिस पर उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा, जालोर द्वारा उनके क्रमांक/राजस्व/2023/462 दिनांक 01.06.2023 प्रेषित की गई, जिसके अनुसार मौजा कोटडा के खसरा नम्बर 1168 में से आवंटित भूमि 1.20 हैक्टेयर के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध तो है परन्तु खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि में आशिक बहाव क्षेत्र होने के कारण तथा कुछ भाग पर शमसान प्रयोजनार्थ भूमि होने पर आवंटन के उपयुक्त नहीं है। इस खसरे में से 1168/1850 रकबा 0.18 हैक्टेयर [illegible] कोटडा खसरा नंबर रकबा 0.08 हैक्टेयर ग्राम सेवक भवन ग्राम पंचायत कोटडा तथा खसरा नंबर 1168/1852 रकबा 0.08 हैक्टेयर आंगनवाडी भवन को [illegible] ग्राम पंचायत कोटड़ा तथा खसरा नंबर 1168/1853 रकबा 0.05 हैक्टेयर कार्यालय पटवारी भवन आवंटित है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

आवंटित भूमि पर वर्तमान में वीर तेजाजी विकास एवं पर्यावरण सेवा संस्थान कोटड़ा के द्वारा बीचों–बीच एक 20X20 वर्ग फुट का पक्का चबुतरा का निर्माण तथा उसके चारों तरफ वृक्ष लगाकर तारबंदी की हुई है। वर्तमान में रा उ मा वि कोटड़ा खसरा नंबर 1250 किस्म गैर मुमकिन आबादी में संचालित है तथा राजस्व रिकोर्ड में खसरा नंबर 1185 रकबा 0.10 हैक्टेयर रा.उ.मा.वि कोटडा के नाम दर्ज है। उसके आस–पास खसरे नबर 1181 में से 0.97 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है जो कि मौके पर खाली पड़ी है उसकी भूमि किस्म बा.सो (गोचर) है, चारों तरफ तारबंदी की हुई है तथा रा.उ.मा.वि. कोटडा का बोर्ड लगा हुआ है व खसरा नंबर 1254 रकबा 8.68 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु आगोर खाली है परन्तु यह प्रतिबंधित श्रेणी की होने से आवंटन हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त आवंटित स्थल एवं रा.उ.मा.वि. कोटड़ा भवन के बीच में दो डामर सडक (1) कोटडा से करवाडा व (2) कोटड़ा से मौखातरा चल रही है। इस प्रकार मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा है, इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा जिला कलेक्टर जालोर, को मौके स्थिति के संबध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उक्त रिपोर्ट/मौका फर्द दिनांक 13.02.2023 के अनुसार भी अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर अपीलाण्ट का बतौर मंदिर श्री वीरतेजाजी का ही कब्जा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बिना सुने आदेश पारित किया गया है तथा पारित आदेश में प्राप्त मौका रिपोर्ट भी अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार नही की गई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है यह विषय विधालय खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन से महत्वपूर्ण विषय बाबत् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधालय को खेल मैदान आवंटित किया गया है, जिसमें छात्रो को सड़क पार कर दूसरे तरफ जाना होता है जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विधालय को खेल मेदान आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय होने के कारण उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण करना आवश्यक है तथा मौके पर उपलब्ध परिस्थितियो का समुचित रूप से गुणावगुण आधार पर खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि का चयन किया जाना वांछित है। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है तथा न ही अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा भी इस महत्वपूर्ण प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारी से सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए भूमि चयन हेतु वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर नही भेजा गया है। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण तथा मौके की वास्तविक स्थति को ध्यान में रखते हुए अधिनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा निर्णय पारित किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त तथ्यो एवं हालातो का कोई विवेचन नही किया गया है। अतः अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ12(3) ( )राज./सार्व/22/7240 दिनांक 17.11.2022 को अपास्त किया जाता है। कार्यालय जिला कले[illegible]र को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कि[illegible] तथा रे[illegible]डेण्ट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण [illegible] तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पर समानता व समुचित विचार करके [illegible] विधि अनुरूप निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

20/8/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested